

—सत्ताईस—

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन अनुभाग—5
संख्या—क0नि0—5—1162 / 11—2003
लखनऊ, दिनांक 07 मई, 2003

अधिसूचना / विज्ञाप्ति

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में कार्यरत सहायक / उप महानिरीक्षक निबन्धन को अपने तैनाती के जनपद में, वित्तीय नियमों के तहत शासनादेश संख्या – क0नि0—5—5033 / 11—2002 – 4—ए—क्यू/2001, दिनांक: 4 जनवरी, 2003 (प्रति संलग्न) द्वारा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(विनोद मल्होत्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, इलाहाबाद को प0सं0— 17 / विविध / ओ0आर0के0, दिनांक: 11.02.03 के सन्दर्भ में प्रकाशनार्थ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(शान्ति नाथ मिश्र)
उप सचिव।

संख्या—क0नि0—5—5033 / 11—2002 / 4एक्यू/2001

प्रेषक,

श्री विनोद मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग—५— लखनऊ

दिनांक: 04 जनवरी, 2003

विषय: स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/उप महानिरीक्षक निबन्धन की जिलों में कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1738/शि0का0लख0/2002 दिनांक: 21.08.02 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस प्रकरण में सम्पर्क विचार किया गया तथा कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उप महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—1 के विवरण पत्र — 23 की क्रम संख्या—3 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी तैनाती के जिलों में मुख्यालय एवं जिला अधिकारी / व्यय सम्बन्धी कार्य करने हेतु एतद्वारा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाता है।

भवदीय,
ह०अस्पष्ट
विनोद मल्होत्रा
प्रमुख सचिव

संख्या—क0नि0—५—५०३३ / ११—२००२—४०क्य० / २००१, तददिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व पदेन जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को आगामी गजट में प्रकाशन हेतु।
9. गार्ड फाइन।

आज्ञा से,
ह०अस्पष्ट
(अशोक कुमार दुग्गल)
विशेष सचिव।